न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रजू 02/04/2012

प्रकरण संख्या 10/12

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री लालू उर्फ लाल चन्द पुत्र केवलराम जाति सिंधी उम्र 34 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नं0–2 थाना कोतवाली स0मा0 जिला सवाई माधोपुर । ––गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 24.8.18

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री लालू उर्फ लाल चन्द पुत्र केवलराम जाति सिंधी उम्र 34 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नं0–2 थाना कोतवाली स0मा0 जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व थानाधिकारी थाना कोतवाली स0मा0 में जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क्रम	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
	191/98	12/06/98	341,323 ता0हि0 थाना मानटाउन	82/98	21.6.98	राजीनामा 25.07.98
	389/98	11/11/98	341,323 ता0हि0 थाना मानटाउन	191/98	13.11.98	राजीनामा 29.11.98
	177/05	17/10/09	384,323 ता0हि0 थाना मानटाउन	123/05	26.5.05	दोष मुक्त 12.06.08
	72/2000	25.02.2000	341,323 ता0हि0 थाना मानटाउन	75/2000	30.3.2000	राजीनामा 28.5.2000
	396/01	16.10.01	341,323,34 ता0हि0 थाना मानटाउन	247/01	31.10.01	राजीनामा 19.02.03
	29/02	23.01.02	399,402,147, 149ता0हि0 व 3/27, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मानटाउन	83/02	16.5.02	दोष मुक्त 20.06.03
	108/02	03.04.02	323,341,325,34 ता0हि0 थाना मानटाउन	74/02	19.4.02	बरी 29.08.06
	430/02	24.04.02	307, 34 ता0हि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट	105/03	21.5.03	दोषमुक्त 16.08.05

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

S.H.O.
थाना कोतवाली
जिला सवाई माधोपुर (राज0)

			थाना मानटाउन			
[illegible]	[illegible]	21.07.03	147,341,427 336,504 ता0हि0 थाना मानटाउन	209/03	31.08.03	दोषमुक्त 5.6.06
[illegible]	[illegible]	22.10.03	384 ता0हि0 थाना मानटाउन	294/03	10.11.03	दोषमुक्त 7.5.10
[illegible]	[illegible]	22.06.04	323,341,34 ता0हि0 थाना कोतवाली स0मा0	314/04	16.12.04	दोषमुक्त 11.2.09
[illegible]	[illegible]	10.01.06	147,148,149, 307,324 ता0हि0 थाना मानटाउन	91/06	28.4.06	पे0 कोर्ट
[illegible]	[illegible]	21.05.07	147,148,149, 307,324 ता0हि0 थाना खवाजना डूंगर	67/07	14.9.07	बरी 16.04.09
[illegible]	[illegible]	24.04.07	353,186,504 ता0हि0 थाना मानटाउन	216/07	31.08.07	बरी 18.01.08
[illegible]	[illegible]	10.05.07	143,323,341, 427,394 ता0हि0 थाना कोतवाली स0मा0	127/07	17.5.07	पे0 कोर्ट
[illegible]	[illegible]	05.05.07	143,341,323, 325,327 ता0हि0 थाना मानटाउन	220/07	6.9.07	राजीनामा 24.09.08
[illegible]	[illegible]	05.05.07	147,148,149,427,283 ता0हि0 थाना मानटाउन	296/08	18.12.08	पैण्डिंग कोर्ट
[illegible]	[illegible]	17.4.08	379,411,353, 307 ता0हि0 थाना मानटाउन	149/08	11.7.08	पैण्डिंग कोर्ट
[illegible]	[illegible]	19.6.10	364ए,384,327, 143 ता0हि0 थाना मानटाउन	307/10	4.11.10	पे0 कोर्ट

उक्त पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल श्री लालू उर्फ लाल चन्द पुत्र केवलराम जाति सिंधी उम्र 34 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नं0–2 थाला कोतवाली स0मा0 जो कि बचपन से ही गलत संगत मे पड़ जाने से मारपीट तथा भय दिखाकर जनता से लूट खसोट करना तथा भूमाफियाओं के साथ तालमेल करके गरीबों के साथ हर तरीके की अन्याय करना तथा हर तरह के आपराधिक जुर्म करता रहता है। जो अवैध कार्य में लगातार कई बार सिद्ध दोष हो चुका है व अन्य कई मामले श्रीमान न्यायालय में विचाराधिन है। इस शख्स को इसके निवास स्थान हा0बोर्ड स0मा0 में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिये घातक है। बार–बार सिद्ध दोष होने के बावजूद इस शक्स के आचरण में कोई सुधार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

S.H.O.
थाना कोतवाली
सवाई माधोपुर (राज0)

विधि द्वारा निर्धारित दण्ड को कम कर आंक कर इस का अधिक फायदा पाया लगातार अपराध कर विधि के डर से बे–खोफ हो गया है। इलाके में गैर सायल का है। आमजन गैर सायल के भय से आतंकित है। इस प्रकार यह व्यक्ति गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1) की तारीफ में आता हैं अतः श्री लालू लालचन्द निवासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नं0 2 थाना कोतवाली स0मा0 विरूद्ध धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अर्ज है कि बाद समायत को जिला बाहर किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। ताकि थाना क्षैत्र शांति से लोग जीवन बसर कर सके।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषक उपस्थित आया। गैरसायल श्री संजय पुत्र श्री शम्भू दयाल जाति ब्राहम्ण उम्र 34 निवासी रामलीला मैदान शहर सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का जवाब करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल बचपन से ही गलत संगत मे जाने से मारपीट तथा भय दिखाकर जनता से लूट खसोट करना तथा भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ करके गरीबों के साथ हर तरीके की अन्याय करना तथा हर तरह के आपराधिक जुर्म करता रहता है। जो अवैध कार्य में लगातार दो बार सिद्ध दोष हो चुका है व अन्य कई मामले श्रीमान न्यायालय में विचाराधिन है। इस शक्स को इसके निवास स्थान कोतवाली स0मा0 में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिये घातक है। बार–बार सिद्ध दोष होने के बावजूद इस शक्स के आचरण में कोई सुधार नही होकर विधि द्वारा निर्धारित दण्ड को कम कर आंक कर इस का अधिक फायदा पाया देखकर लगातार अपराध कर विधि के डर से बे–खोफ हो गया है। इलाके में गैर सायल का भय व्याप्त है। आमजन गैर सायल के भय से आतंकित है। इस प्रकार यह व्यक्ति गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1) की तारीफ में आता हैं। अतः गैरसायल को जिला बाहर किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। ताकि थाना क्षैत्र में सुख शांति से लोग जीवन बसर कर सके। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

S.H.O.
थाना कोतवाली
जिला सवाई माधोपुर (राज0)

जा ड्राप किये जाने योग्य है। गैरसायल को किसी भी प्रकरण में आदिनांक तक न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार गैरसायल को अधिकतर प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है तथा कुछ प्रकरण में राजीनामा हो चुका है एक प्रकरण कोर्ट में पेन्डिंग है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि गैरसायल को किसी भी प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है, साथ ही सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ सायल ने समस्त न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न नहीं की है,जिससे स्पष्ट है कि गैरसायल का किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं होता है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पंहुचा हु कि सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल के विरूद्ध 19 मुकदनें जर्द होना बताया है, उक्त इस्तगासा में अंकित सूची के अनुसार गैरसायल 5 प्रकरणों में राजीनामा होना तथा 10 प्रकरणो में दोषमुक्त/बरी तथा शेष 5 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना पाया जाता है। किसी भी प्रकरण में सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में दोष साबित होना तथा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से आर्थिक दण्ड से दण्डित करने के संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है, साथ ही पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि सायल (प्रार्थी) द्वारा उक्त इस्तगासा के साथ मा0 न्यायालयों के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं की है, जिससे एक भी मुकदमें में गैरसायल का दोष सिद्ध होना स्पष्ट नहीं होता हो। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल स्पष्ट रूप से एक भी मुकदमें में अपराध कारित होना सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सिद्ध न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग -पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.8.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर

S.H.O.
थाना कोतवाली
जिला सवाई माधोपुर (राज0)